संख्या–2997 / 9–आ–3–2001–3 विविध / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 6 सितम्बर, 2001

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की योजनाओं के मानचित्रों की स्वीकृति की व्यवस्था।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्य–4176 / 9–आ–3–98–626 डी0ए0 / 92 दिनांक 05 फरवरी, 1998 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्रों / आस्थानों में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार उ0प्र0 राज्य औ़द्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकां तथा औद्योगिक आस्थानों में परिक्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उद्योग को प्रतिनिर्धानित किए गये है।

2. इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा निगम द्वारा आवंटित भूखण्डों के अन्तर्गत आवासीय भवनों के मानचित्र स्वीकृति में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त शासनादेश में आशिंक संशोधन करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन यह निर्देश देते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों / आस्थानों में उ0प्र0 राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा आवंटित औद्योगिक इकाईयों के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले आवासीय भवनों के मानचित्र भी औद्योगिक इकाई स्वीकृत के मानचित्र के साथ किये जाने की कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा–51(3) के अधीन शासनादेश दिनांक 5–2–98 में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों को अपने अधिकार प्रतिनिहित किये जायें। एसे भूखण्ड जो उक्त शर्तों को पूरा नहीं करते, के मानचित्रों को इस शासनादेश का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। पूर्व में जारी किया गया उक्त शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 1998 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

<u>संख्या–2997 / 9–आ–3–2001–3 विविध / 20001</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम, कानपुर।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को इनके पत्रांक दिनांक के संदर्भ में।
6. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव